

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु

क्रमांक : प्र.गा.स./2021/ 172/2021

दिनांक : 12-11-2021

**निर्णय:-**  
आदेश

प्रार्थी श्री.....बेवरीदेवी.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....अमराराम.....  
ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम.....रामदेवरा.....पटवार मण्डल.....नाकरासा.....  
तहसील चूरु जिला चूरु की चालू जमाबन्दी सम्वत्.....2071-2074.....के खाता संख्या.....223.....में  
खातेदार/केपति खातेदार का नाम/जाति.....अमरचन्द.....अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है।  
जिसे सम्मानजनक रूप से.....अमराराम.....अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन  
पत्र की जांच पटवारी हल्का.....नाकरासा.....से करवाने पर पटवारी ने.....अमरचन्द.....के  
बजाय.....अमराराम.....करना उचित बताया। तहसीलदार, चूरु ने भी उक्त खाते में.....अमरचन्द.....  
के बजाय.....अमराराम.....करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम  
369 राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम.....रामदेवरा.....  
के खाता संख्या.....223.....में खातेदार/केपति खातेदार का नाम/जाति.....अमरचन्द.....  
के स्थान पर सम्मानजनक रूप से.....अमराराम.....दर्ज करने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार,  
चूरु तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।

*12/11/21*  
उपखण्ड अधिकारी  
चूरु



उपखण्ड अधिकारी,  
(Land Record Officer)  
चूरु

